रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2018/श्रावण 16, 1940
No. 548] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2018/SHRAVANA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 750(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 139 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (त्रिपुरा में बॉटलिंग संयंत्र के लिए बांग्लादेश से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का विनियमन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो।

क) "एमओयू" से अभिप्राय है, उत्तर-पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारतीय पेट्रोलियम उत्पाद शोधन और आपूर्ति कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन।

ख) "क्रू" से अभिप्रेत है मोटर वाहन के ड्राइवर और हेल्पर;

ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, -

(i) परिवहन वाहन के लिए नियमित परमिट के संबंध में, बांग्लादेश के कानून के तहत इस तरह का परमिट जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

(ii) ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में, बांग्लादेश के कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

(iii) बांग्लादेश के कानून के तहत परिवहन वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में;

(iv) पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में, बांग्लादेश के कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

घ) "हेल्पर सर्टिफिकेट" से अभिप्राय है एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

ड.) "ड्राइविंग लाइसेंस" से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ जिसके द्वारा उस दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

च) "वाहन" से अभिप्राय है बांग्लादेश और भारत के बीच एलपीजी की ढुलाई के लिए मोटर वाहन।

छ) "फिटनेस सर्टिफिकेट" से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो सड़क पर चलने के लिए वाहन की यांत्रिक फिटनेस की पुष्टि करता है।

ज) "बीमा पॉलिसी" से अभिप्राय है एक वैध वाहन बीमा पॉलिसी, जिसमें तीसरे पक्ष के जोखिम व्यापक रूप से शामिल हैं और भारतीय क्षेत्र में लागू है।

झ) "परमिट" से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ जिसके द्वारा वाहन के आवागमन को अधिकृत किया जाता है।

ञ) किसी वाहन के संदर्भ में प्रयोग किए जाने पर "पंजीकरण प्रमाण पत्र" से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र।

ट) "विस्फोटक लाइसेंस" से अभिप्राय है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया गया लाइसेंस।

3. भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय संचालित या इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को इस तरह अनुरक्षित किया जाएगा कि वह चालक के प्रभावी नियंत्रणाधीन हो।

4. वाहन के चालक द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहन की श्रेणी के लिए लागू ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी, मार्ग परमिट और विस्फोटक लाइसेंस धारित किया जाएगा।

5. भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर परिवहन विभाग से अधिकारी द्वारा वाहन में उपलब्ध निम्नलिखित दस्तावेजों के विवरण और वैधता की पुष्टि की जाएगी।

(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(ii) फिटनेस प्रमाणपत्र;

(iii) बीमा पॉलिसी;

(iv) मार्ग परमिट;

(v) ड्राइविंग लाइसेंस;

(vi) विस्फोटक लाइसेंस;

6. भारतीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन के खराब होने, दुर्घटना होने या किसी अन्य घटना के मामले में, आयातकर्ता द्वारा परिवहन विभाग / यातायात विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/98/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2018

G.S.R. 750(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport),email : js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Regulation of petroleum products supply to bottling plant in Tripura from Bangladesh) Rules, 2018.

   (2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**

   In these rules, unless the context otherwise requires.

   a) "MoU" means the Memorandum of Understanding, signed by a Petroleum Products Refining and Supply Company of India, for the supply of petroleum products to North East India.

   b) "Crew" means Driver and Helper of the Motor Vehicle;

   c) "Competent Authority" means,-

      (i) In relation to a regular permit for transport vehicle, an authority Competent to issue such a permit under the law of Bangladesh;

      (ii) In relation to driving licence, an authority competent to issue the driving licence under the law of Bangladesh;

      (iii) In relation to certificate of fitness of transport vehicle under the law of Bangladesh;

      (iv) In relation to the Registration certificate, an Authority competent to issue the Registration Certificate under the law of Bangladesh;

   d) "Helper's Certificate" means a certificate issued by the party signing the MoU.

   e) "Driving Licence" means the document issued by a competent authority, authorizing the person specified therein to drive a motor vehicle.

   f) "Vehicle" means motor vehicle, for the carriage of LPG between Bangladesh and India.

   g) "Certificate of Fitness" means a certificate issued by a competent authority, testifying the mechanical fitness of the vehicle to ply on the road.

   h) "Insurance Policy" means a valid vehicle insurance policy, extendable in Indian territory, covering comprehensive third party risks.

   i) "Permit" means document issued by the competent authority authorizing the movement of a vehicle.

   j) "Registration Certificate" when used with reference to a vehicle, means the certificate of registration issued by the Competent Authority.

   k) "Explosive License" means license issued by Petroleum Explosive Safety Organisation under Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

3. A vehicle operated or used while entering into the Indian Territory will be so maintained that it is under the effective control of the Driver.

4. Driver of the vehicle shall be in possession of the driving license applicable for the class of the vehicle entering into the Indian Territory, Registration Certificate, fitness certificate, insurance policy, route permit and explosive license.

5. The official from the Transport Department, on entry into Indian territory, shall verify the details and the validity of the following documents available with the vehicle.

(i) Registration Certificate ;

(ii) Fitness Certificate;

(iii) Insurance policy;

(iv) Route permit;

(v) Driving Licence;

(vi) Explosive license;

6. In case of a breakdown, accidents or any other incident with the vehicle used for transport bulk Petroleum products in the Indian territory, the importer shall inform the Transport Department/ Traffic Department and the local police

[F. No. RT-11036/98/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R …….. (E) dated……………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.10 15:34:03 +05'30'